राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 21 जून, 2010 / 31 ज्येष्ठ, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग–ख

अधिसूचना

शिमला–2, 11 मई, 2010

सख्याः जी.ए.बी.–ए(3)–8 / 2004.——हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय में कैम्प जमादार, वर्ग–IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्: –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय कैम्प जमादार, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है ।

2. ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
सचिव।

————————

''उपाबन्ध–क''

हिमाचल प्रदेश राज्यपाल सचिवालय (गृहकक्ष) में कैम्प जमादार, वर्ग–IV (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.––**कैम्प जमादार

2. **पदों की संख्या.––**1 (एक)

3. **वर्गीकरण.––**वर्ग–IV (अराजपत्रित)

4. **वेतनमान.––**वेतनमान 4900–10680 रुपए के पे बैंड जमा 1400/– रुपए ग्रेड पे

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.––**लागू नहीं ।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.––**लागू नहीं ।

7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताऐ.––**लागू नहीं ।

8. **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताऐं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.––**लागू नहीं ।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––**दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में, आरै लिखित कारणों से आदेश दे।

10. **भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.––**शतप्रतिशत स्थान (प्लेसमैन्ट) द्वारा ऐसा न होने पर सैकण्डमैंट आधार पर ।

11. **प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा.––**हाऊसबेअॅरर/खिदमतगार में से स्थानन द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

स्थानन के प्रयोजन के लिए, उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्टता सूची तैयार की जायेगी ।

ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सेकेण्डमैंट आधार पर ।

12. विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.––लागू नहीं ।

13 भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा. ––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––लागू नहीं ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन.––सीधी भर्ती लागू नहीं ।

16. आरक्षण.––उक्त सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन–जातियों / अन्य पिछड़े वर्गो और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्तित्र––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बावत, शिथिल कर सकेगी ।

[*Authoritative English text of this Department's Notification No. GAB-A(3)-8/2004 Dated 11-5- 2010 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India*].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, 11 May, 2010

No. GAB-A(3)-8/2004.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Camp Jamadar, Class-IV (Non-Gazetted) in Himachal Pradesh Governor's Secretariat as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Governor's Secretariat Camp Jamadar, Class-IV (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
Secretary.

"ANNEXURE-A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CAMP-JAMADAR (CLASS-IV NON-GAZETTED) IN THE GOVERNOR'S SECRETARIAT (HOUSEHOLD) HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the post.—Camp Jamadar

2. Number of posts.—One (1)

3. Classification.—Class-IV (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.—Pay Band in the Pay Scale of Rs.4900- 10680 +Grade Pay of Rs.1400/-

5. Whether Selection post or nonselection post.—Not applicable

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum Educational & other qualifications required for direct recruits.—Not applicable

8. Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Not applicable

9. Period of probation if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, Transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by placement failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which Promotion/deputation/transfer is to be made.—By placement from amongst the Housebearer / Khidmatgar who possesses 03 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

For the purpose of placement a combined seniority on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise seniority shall be prepared.

Failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working on identical pay scale from other H.P. Govt. departments.

12. If a departmental Promotion Committee exits, what is its composition.—Not applicable .

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable .

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable .

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled castes/ Scheduled Tribes /other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt. from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable .

18. Powers to relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 1 जून, 2010

संख्या एल.एल.आर.–ए (3)–1 / 2007.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 39) की धारा 6 की उपधारा (5) और (6) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल.एल.आर.–ए (3)–2 / 2002 तारीख 3–7–2003 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 17–7–2003 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, **विधि अधिकारी** (वर्ग–II, राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधि अधिकारी, (वर्ग–II, राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध–क का संशोधन.–**हिमावल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधि अधिकारी (वर्ग–II, राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2003 के उपाबन्ध 'क' में.–

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

"(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640/- रूपए ।

(ii) स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां 6400+3200=9600 रूपए प्रतिमास।"

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :– "यथास्थिति शत प्रतिशत नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ! संविदा कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे; और

(ग) स्तम्भ संख्या 15–क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"(पद पर नियुक्ति के लिए संविदा नियुक्ति द्वारा चयन) :–

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी:–

(I) संकल्पना.–(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में विधि अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.–लागू नहीं ।

(ग) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.–विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 (5) के अधीन सदस्य सचिव, पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताओं और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(घ) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.–संविदा के आधार पर नियुक्त विधि अधिकारी को 6400+3200 = 9600 रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक+महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 200 रूपये की रकम (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.–सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.–संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगाए जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.–जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.–अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध ''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

निबन्धन और शर्तें.–(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तिय को 6400+ 3200= 9600 रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक + महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 200/–रूपए (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0 आर0–एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

————————

उपाबन्ध ''ख''

विधि अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमति .....पुत्र / पुत्री श्री .....निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने विधि अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि प्रथम पक्षकार विधि अधिकारी के रूप में .....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात .....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6400+ 3200= 9600 रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त विधि अधिकारी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त विधि अधिकारी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ती और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त विधि अधिकारी कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार में साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ————————————————————
————————————————————
————————————————————

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ————————————————————
————————————————————
————————————————————

(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ————————————————————
————————————————————
————————————————————

(नाम व पूरा पता)

2. ————————————————————————————
————————————————————————————
————————————————————————————
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)"

आदेश द्वारा,
अवतार चंद डोगरा,
विधि परामर्शी–एवं सचिव (विधि)।

————

[Authoritative English Text of the Department Notification No. LLR-A(3)-1/2007, dated Ist June, 2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the Ist June, 2010

No. LLR-A (3)-1/2007.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 28 read with sub-sections (5) and (6) of section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No.39 of 1987), the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Law Officer** (Class-II, Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2003 notified vide this Department Notification No. LLR-A(3)-2/2002 dated 3-7-2003 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 17-7-2003 , namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Law Officer** (Class-II, Gazetted), Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-'A'.—In Annexure –A to the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Law Officer** (Class-II, Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2003,

(a) for the provisions against column No. 4, the following shall be substituted, namely :-

"(i) Pay scale for regular incumbents Rs.**6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640/-**

(ii) Emoluments for contract employees Rs. **6400+3200/- = 9600** p.m. as per details given in column No.15-A." ;

(b) for the provisions against Column No.10, the following shall be substituted, namely :-

"100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column. " ; and

(c) for the provisions against Column No.15-A, the following shall be substituted, namely:-

"(Selection for appointment to the post by contract appointment):-

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the **Law Officer** in the Himachal Pradesh State Legal Services Authority will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP PSC/ HP SSSB.—**Not applicable**.**

(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HP PSC/HPSSSB.—Under section 6(5) of Legal Services Authorities Act,1987 the Member Secretary after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Law Officer** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 6400+3200=9600/- P.M.(which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). An amount of Rs. 200/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh State Legal Services Authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount **@ Rs. 6400+3200 =9600/-** P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.

200/-(equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

_____

ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Law Officer and the Government of Himachal Pradesh through Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla

This agreement is made on this _____day of _____in the year_____ Between Sh./Smt. _____S/o/D/o Shri_____ R/o _____Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority, Shimla, Himachal Pradesh (herein-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Law Officer** on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Law Officer** for a period of 1 year commencing on day of _____and ending on the day of _____ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.**6400+3200/-=** 9600/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Law Officer** will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual **Law Officer**. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Law Officer** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of an official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of woman candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2.
_____
_____
_____
(Name and Full Address)."

By order,
A. C. DOGRA,
L.R.-cum-Secretary(Law).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 1 जून, 2010

संख्या एल.एल.आर.–ए (3)–1/2007.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 39) की धारा 6 की उपधारा (5) और (6) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयागे करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल.एल.आर.–बी (14)–4/96 तारीख 27–9–1997 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (साधारण) में तारीख 7.3.1998 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, **वरिष्ठ सहायक** (वर्ग–III, अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, वरिष्ठ सहायक (वर्ग–III, अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **उपाबन्ध–क का संशोधन.**–हिमावल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, वरिष्ठ सहायक (वर्ग–।।।, अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध 'क' में.–

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

"(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान 5800-200-7000-220-8100-275-9200 रूपए ।

(ii) स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां 5800+2900=8700 रूपए प्रतिमास।"

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

"शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेंडमैंट द्वारा, दोनों के न होने पर, यथास्थिति, नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ! संविदा कर्मचारी स्तम्भ

संख्या 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे; और

(ग) स्तम्भ संख्या 15–क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"(पद पर नियुक्ति के लिए संविदा नियुक्ति द्वारा चयन) :–

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः–

(I) संकल्पना.–(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में वरिष्ठ सहायक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.–**लागू नहीं ।

(ग) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.**–विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 (5) के अधीन सदस्य सचिव, पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताओं और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(घ) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.–संविदा के आधार पर नियुक्त वरिष्ठ सहायक को 5800+2900 = 8700 रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक +मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 200 रूपये की रकम (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.–सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.–संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.–जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.–अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध ''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 5800+ 2900= 8700 रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक + महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 200/– रूपए (पद के वेतनमान के

न्यूनतम / प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0–एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

————————

उपाबन्ध ''ख''

वरिष्ठ सहायक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमति .....पुत्र / पुत्री श्री .....निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने वरिष्ठ सहायक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन आरै शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि प्रथम पक्षकार वरिष्ठ सहायक के रूप में .....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार

के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात .....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 5800+ 2900= 8700 रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ सहायक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ सहायक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ती और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ सहायक कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार में साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ————————————————————
————————————————————
————————————————————
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ————————————————————
————————————————————
————————————————————
(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ————————————————————

————————————————————

————————————————————

(नाम व पूरा पता)

2. ————————————————————

————————————————————

————————————————————

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

आदेश द्वारा,
अवतार चंद डोगरा,
विधि परामर्शी–एवं सचिव (विधि)।

————————

[Authoritative English Text of the Department Notification No. LLR-A(3)-1/2007, dated Ist June 2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the Ist June , 2010

No. LLR-A (3)-1/2007.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 28 read with sub-sections (5) and (6) of section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No.39 of 1987), the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Sr. Assistant** (Class-III, Non-Gazetted), Ministerial services, Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No. LLR-B(14)-4/96 dated 27.9.1997 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh(Ordinary) dated 7-3-1998, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Sr. Assistant** (Class-III, Non-Gazetted), Ministerial services, Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure –A to the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Sr. Assistant** (Class-III, Non-Gazetted), Ministerial services, Recruitment and Promotion Rules, 1997.

(a) for the provisions against column No. 4, the following shall be substituted, namely :-

“(i) Pay scale for regular incumbents Rs. **5800-200-7000-220-8100-275-9200.**

(ii) Emoluments for contract employees Rs.**5800+2900/- = 8700** p.m. as per details given in column No. 15-A." ;

(b) for the provisions against column No. 10, the following shall be substituted, namely :- "100% by promotion, failing which by secondment failing both by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column. " ; and

(c) for the provisions against Column No.15-A, the following shall be substituted, namely:-

"(Selection for appointment to the post by contract appointment):-

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the **Sr.Assistant** in Department of Himachal Pradesh State Legal Services Authority will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP PSC/ HP SSSB.—Not applicable**.**

(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HP PSC/HPSSSB.—Under section 6(5) of Legal Services Authorities Act,1987, the Member Secretary after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Sr.Assistant** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. **5800+ 2900 = 8700/-**P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). An amount of Rs. **200/-**(equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh State Legal Services Authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority, Shimla from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. **5800+2900=8700/-** P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs**.200/-(**equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like F.R.,S.R.Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Sr.Assistant and the Government of Himachal Pradesh through Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla

This agreement is made on this _____day of _____in the year_____Between Sh./Smt. _____S/o/D/o Shri_____ R/o _____Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla, Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Sr. Assistant** on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Sr. Assistant** for a period of 1 year commencing on day of _____and ending on the day of _____ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. **5800+2900/- = 8700/-** per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Sr. Assistant** will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual **Sr. Assistant**. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Sr.Assistant** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of an official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render them temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. _____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address)."

By order,
A.C. DOGRA,
L.R.-cum-Secretary(Law).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 1 जून, 2010

संख्या एल.एल.आर.–ए(3)–1 / 2007.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्याक 39) की धारा 6 की उपधारा (5) और (6) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल.एल.आर.–बी(14)–4 / 96 तारीख 27–9–1997 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (साधारण) में तारीख 11–7–1998 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, **विधिक साक्षरता समन्वयक** (वर्ग–III, अराजपत्रित), भर्ती आरै प्रोन्नति नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक साक्षरता समन्वयक (वर्ग– III, अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध–क का संशोधन.–**हिमावल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक साक्षरता समन्वयक (वर्ग– III, अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध 'क' में .–

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

"(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान 5800-200-7000-220-8100-275-9200 रूपए;

(ii) स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां 5800+2900 = 8700 रूपए प्रतिमास।"

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :– "यथास्थिति शत प्रतिशत नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ! संविदा कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे; और

(ग) स्तम्भ संख्या 15–क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"(पद पर नियुक्ति के लिए संविदा नियुक्ति द्वारा चयन) :–

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः–

(1) संकल्पना.–(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में विधिक साक्षरता समन्वयक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.–लागू नहीं ।

(ग) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.–विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 (5) के अधीन सदस्य सचिव, पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतू सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताओं और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(घ) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.–संविदा के आधार पर नियुक्त विधि अधिकारी को 5800+2900 = 8700 रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक + मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 200 रूपये की रकम (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.–सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.–संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगाए जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(ट) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.–जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.–अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध ''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

निबन्धन और शर्तें.–(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 5800 + 2900 = 8700 रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक + महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 200/–रूपए (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0–एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

————————

उपाबन्ध ''ख''

विधिक साक्षरता समन्वयक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति .....पुत्र/पुत्री श्री .....निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने विधिक साक्षरता समन्वयक के रूप में सं विदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि प्रथम पक्षकार विधिक साक्षरता समन्वयक के रूप में .....से प्रारम्भ होने और..... .....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात .....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 5800 + 2900 = 8700 रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त विधिक साक्षरता समन्वयक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त विधिक साक्षरता समन्वयक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ती और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त विधिक साक्षरता समन्वयक कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ/जी0पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार में साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ————————————————————
————————————————————
————————————————————
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ————————————————————
————————————————————
————————————————————
(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ————————————————————
————————————————————
————————————————————
(नाम व पूरा पता)

2. ————————————————————
————————————————————
————————————————————
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)"

आदेश द्वारा,
अवतार चंद डोगरा
विधि परामर्शी–एवं सचिव (विधि)।

————

[Authoritative English Text of the Department Notification No. LLR-A(3)-1/2007, dated Ist June, 2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the Ist June, 2010

No. LLR-A(3)-1/2007.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 28 read with sub-sections (5) and (6) of section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No.39 of 1987), the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Legal Literacy Co-ordinator** (Class-III, Non- Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No. LLR-B(14)-4/96 dated 27-9-1997 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Ordinary) dated 11-7-1998, namely : -

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Legal Literacy Coordinator** (Class-III, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A to the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Legal Literacy Co-ordinator (Class-III, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997,

(a) for the provisions against Column No.4, the following shall be substituted, namely : -

"(i) Pay scale for regular incumbents Rs. **5800-200-7000-220-8100-275-9200.**

(ii) Emoluments for contract employees Rs.**5800+2900/- = 8700** p.m. as per details given in column No.15-A.";

(b) for the provisions against column No. 10, the following shall be substituted, namely :-

"100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column. " ; and

(c) for the provisions against Column No.15-A the following shall be substituted, namely:-

"(Selection for appointment to the post by contract appointment):-

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the **Legal Literacy Co-ordinator** in Department of Himachal Pradesh State Legal Services Authority will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP PSC/ HP SSSB.—Not applicable**.**

(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HP PSC/HPSSSB.—Under Section 6(5) of Legal Services Authorities Act,1987 The Member Secretary after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Legal Literacy Co-ordinator** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. **5800+2900 = 8700/-**P.M.(which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). An amount of Rs.**200/-** (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. State Legal Services Authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. **5800 + 2900 = 8700/-** P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @

Rs**. 200/-(**equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. (c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/ She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like F.R., S.R. Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

_____

ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Legal Literacy Co-ordinator and the Government of Himachal Pradesh through Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla

This agreement is made on this _____day of _____in the year_____Between Sh./Smt. _____S/o/D/o Shri_____ R/o _____Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority, Shimla, Himachal Pradesh (here-inafter referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Legal Literacy Co-ordinator** on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Legal Literacy Co-ordinator** for a period of 1 year commencing on day of _____and ending on the day of _____ It is specifically mentioned and agreed upon by both the

parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.**5800+2900/-=** 8700/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Legal Literacy Co-ordinator** will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual **Legal Literacy Co-ordinator**. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Legal Literacy Co-ordinator** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render them temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. _____

_____

_____

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

_____

_____

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address)."

By order,
A.C.DOGRA,
L.R.-cum-Secretary(Law).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 1 जून, 2010

संख्या एल.एल.आर.–ए(3)–1 / 2007.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 39) की धारा 6 की उपधारा (5) और (6) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल.एल.आर.–बी(14)–4 / 96 तारीख 5–2–1998 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (साधारण) में तारीख 11–4–1998 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, **वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक** (वर्ग– III, अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (वर्ग– III, अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध–क का संशोधन.**–हिमावल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (वर्ग–III, अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1998 के उपाबन्ध 'क' में .–

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

"(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान 5800-200-7000-220-8100-275-9200 रूपए;

(ii) स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां 5800+2900=8700 रूपए प्रतिमास।"

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

"शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सेकेंडमैंट द्वारा, दोनों के न होने पर, यथास्थिति, नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ! संविदा कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क

में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे; और

(ग) स्तम्भ संख्या 15–क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"(पद पर नियुक्ति के लिए संविदा नियुक्ति द्वारा चयन) :–

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः–

(I) संकल्पना.–(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.–**लागू नहीं ।

(ग) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.**–विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 (5) के अधीन सदस्य सचिव, पदों के संविदा के आधार पर भरने हेतू सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताओं और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(घ) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.–संविदा के आधार पर नियुक्त विधि अधिकारी को 5800+2900 = 8700 रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक+महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 200 रूपये की रकम(पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.–सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकिया.–संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.–जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.–अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध ''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

निबन्धन और शर्तें.–(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति, को 5800+ 2900= 8700 रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक + महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 200/–रूपए (पद के

वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधांए जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0–एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं हागें । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

————————

उपाबन्ध ''ख''

वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति .....पुत्र/पुत्री श्री .....निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन आरै शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि प्रथम पक्षकार वरिष्ठ वेतेतनमान आशुलिपिक के रूप में .....से प्रारम्भ होने और.. .....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह

विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात .....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 5800+ 2900= 8700 रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ती और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति काए यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना आपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ/जी0पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार में साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ————————————————————
————————————————————
————————————————————
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ————————————————————
————————————————————
————————————————————
(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ——————————————————

——————————————————

——————————————————

(नाम व पूरा पता)

2. ——————————————————

——————————————————

——————————————————

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)"

आदेश द्वारा,
अवतार चंद डोगरा,
विधि परामर्शी–एवं सचिव (विधि)।

————————

[Authoritative English Text of the Department Notification No. LLR-A(3)-1/2007, dated Ist June, 2010 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the Ist June, 2010

No. LLR-A(3)-1/2007.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 28 read with sub-sections (5) and (6) of section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987(Act No.39 of 1987), the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Senior Scale Stenographer** (Class-III, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1998 notified vide this Department Notification No. LLR-B(14)-4/96 dated 5-2-1998 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Ordinary) dated 11-4-1998, namely :—

Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Senior Scale Stenographer** (Class-III, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion(First Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure –A to the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Senior Scale Stenographer** (Class-III, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1998,

(a) for the provisions against column No. 4, the following shall be substituted, namely : -

"(i) Pay scale for regular incumbents Rs. **5800-200-7000-220-8100-275-9200.**

(ii) Emoluments for contract employees Rs. **5800+2900/- = 8700** p.m. as per details given in column No.15-A.";

(b) for the provisions against column No. 10, the following shall be substituted, namely :- "100% by promotion, failing which by secondment, failing both by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column. "; and

(c) for the provisions against Column No.15-A, the following shall be substituted, namely:-

(Selection for appointment to the post by contract appointment):-

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the **Senior Scale Stenographer** in Department of Himachal Pradesh State Legal Services Authority will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP PSC/ HP SSSB.—Not applicable**.**

(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HP PSC/HPSSSB.—Under section 6(5) of Legal Services Authorities Act, 1987 the Member Secretary after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Senior Scale Stenographer** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. **5800+2900=8700/-** P.M.(which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). An amount of Rs.**200/-**(equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of *viva-voce* test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh State Legal Services Authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority, Shimla from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.**5800+2900 = 8700/-** P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @Rs**.200/-(**equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like F.R.,S.R. Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

_____

ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Senior Scale Stenographer and the Government of Himachal Pradesh through Member Secretary,Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla

This agreement is made on this _____day of _____in the year_____Between Sh./Smt. _____S/o/D/o Shri_____ R/o _____Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla, Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Senior Scale Stenographer** on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Senior Scale Stenographer** for a period of 1 year commencing on day of _____and ending on the day of _____ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day *i.e.* on _____ and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.**5800+2900/-= 8700/-** per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Senior Scale Stenographer** will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual **Senior Scale Stenographer**. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Senior Scale Stenographer** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render them temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address).".

By order,
A.C.DOGRA,
L.R.-cum-Secretary(Law).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 1 जून, 2010

संख्या एल.एल.आर.–ए(3)–1 / 2007.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 39) की धारा 6 की उपधारा (5) और (6) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल.एल.आर.–बी(14)–4 / 96 तारीख 27–9–1997 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (साधारण) में तारीख 21–3–1998 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, **कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक** (वर्ग–III, अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (वर्ग– III, अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध–क का संशोधन.**–हिमावल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (वर्ग–।।।, अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध 'क' में .–

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

"(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान 4400-150-5000-160-5800-200-7000 रूपए;

(ii) स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां 4400+2200=6600 रूपए प्रतिमास।"

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

"शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सेकेंडमैंट द्वारा, दोनों के न होने पर, यथास्थिति, नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ! संविदा कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क

में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे; और

(ग) स्तम्भ संख्या 15–क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"(पद पर नियुक्ति के लिए संविदा नियुक्ति द्वारा चयन) :–

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः–

(I) संकल्पना.–(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.–**लागू नहीं ।

(ग) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.**–विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 (5) के अधीन सदस्य सचिव, पदों क` संविदा के आधार पर भरने हेतू सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताओं और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(घ) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.–संविदा के आधार पर नियुक्त विधि अधिकारी को 4400+2200 = 6600 रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक+महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 150 रूपये की रकम(पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.–सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकिया.–संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.–जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.–अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध ''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

निबन्धन और शर्तें.–(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति, को 4400+ 2200= 6600 रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक + महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 150/–रूपए (पद के

वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधांए जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0–एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं हागें । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

————————

उपाबन्ध ''ख''

कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति .....पुत्र/पुत्री श्री .....निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन आरै शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में .....से प्रारम्भ होने और... .....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की

द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात .....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 4400+ 2200= 6600 रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ती और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति काए यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना आपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ/जी0पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार में साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ————————————————————

————————————————————

————————————————————

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ————————————————————

————————————————————

————————————————————

(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ——————————————————

——————————————————

——————————————————

(नाम व पूरा पता)

2. ——————————————————

——————————————————

——————————————————

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)"

आदेश द्वारा,
अवतार चंद डोगरा,
विधि परामर्शी—एवं सचिव (विधि)।

————

[Authoritative English Text of the Department Notification No. LLR-A(3)-1/2007, dated Ist June, 2010 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the Ist June, 2010

No. LLR-A(3)-1/2007.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 28 read with sub-sections (5) and (6) of section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987(Act No.39 of 1987), the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Junior Scale Stenographer** (Class-III, Non- Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No. LLR-B(14)-4/96 dated 27-9-1997 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Ordinary) dated 21-3-1998, namely : -

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Junior Scale Stenographer** (Class-III,Non-Gazetted), Recruitment and Promotion(First Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure –A to the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Junior Scale Stenographer** (Class-III, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997,

(a) for the provisions against column No. 4, the following shall be substituted, namely : -

"(i) Pay scale for regular incumbents Rs. **4400-150-5000-160-5800-200-7000.**

(ii) Emoluments for contract employees Rs. **4400+2200/- = 6600** p.m. as per details given in column No.15-A.";

(b) for the provisions against column No. 10, the following shall be substituted, namely :- "100% by promotion, failing which by secondment, failing both by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column. "; and

(c) for the provisions against Column No.15-A, the following shall be substituted, namely:-

(Selection for appointment to the post by contract appointment):-

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the **Junior Scale Stenographer** in Department of Himachal Pradesh State Legal Services Authority will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP PSC/ HP SSSB.—Not applicable**.**

(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HP PSC/HPSSSB.—Under section 6(5) of Legal Services Authorities Act, 1987 the Member Secretary after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Senior Scale Stenographer** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. **4400+2200=6600/-** P.M.(which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). An amount of Rs.**150/-**(equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of *viva-voce* test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e*. Himachal Pradesh State Legal Services Authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority, Shimla from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.**4400+2200 = 6600/-** P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs**. 150/-(**equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like F.R.,S.R. Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Junior Scale Stenographer and the Government of Himachal Pradesh through Member Secretary,Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla

This agreement is made on this _____day of _____in the year_____Between Sh./Smt. _____S/o/D/o Shri_____ R/o _____Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla, Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Junior Scale Stenographer** on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Junior Scale Stenographer** for a period of 1 year commencing on day of _____and ending on the day of _____ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.**4400+2200/-= 6600/-** per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Junior Scale Stenographer** will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual **Junior Scale Stenographer**. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Junior Scale Stenographer** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render them temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address).".

By order,
A. C. DOGRA,
L.R.-cum-Secretary(Law).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 1 जून, 2010

संख्या एल.एल.आर.–ए(3)–1 / 2007.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्याक 39) की धारा 6 की उपधारा (5) और (6) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल.एल.आर.–बी(14)–4 / 96 तारीख 27–9–1997 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (साधारण) में तारीख 11–4–1998 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, **चालक** (वर्ग– III, अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चालक (वर्ग– III, अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध–क का संशोधन.–**हिमावल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चालक (वर्ग–।।।, अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध 'क' में .–

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

"(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान 3330-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-6200 रूपए ;

(ii) स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां 3330+1665=4995 रूपए प्रतिमास।"

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

"शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सेकेंडमैंट द्वारा, दोनों के न होने पर, यथास्थिति, नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ! संवदा कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे; और

(ग) स्तम्भ संख्या 15–क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–"(पद पर नियुक्ति के लिए संविदा नियुक्ति द्वारा चयन) :–इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः–

(1) संकल्पना.–(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में चालक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.–लागू नहीं ।

(ग) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.–विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 (5) के अधीन सदस्य सचिव, पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतू सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताओं और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(घ) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.–संविदा के आधार पर नियुक्त विधि अधिकारी को 3330+ 1665=4995 रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक+महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 110 रुपये की रकम(पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वाषिर्क वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.–सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.–संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.–जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.–अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध ''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

निबन्धन और शर्तें.–(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 3330+1665=4995 रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक+महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 110/–रूपए (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधांए जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0–एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

————————

उपाबन्ध ''ख''

चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति .....पुत्र/पुत्री श्री .....निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चालक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि प्रथम पक्षकार चालक के रूप में .....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात .....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 3330+1665=4995 रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त चालक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त चालक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ती और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त चालक कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ/जी0पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार में साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ————————————————————
————————————————————
————————————————————
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ————————————————————
————————————————————
————————————————————
(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ————————————————————
————————————————————
————————————————————
(नाम व पूरा पता)

2. ————————————————————————————
————————————————————————————
————————————————————————————
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)"

आदेश द्वारा,
अवतार चंद डोगरा,
विधि परामर्शी–एवं सचिव (विधि)।

———————

[Authoritative English Text of the Department Notification No. LLR-A(3)-1/2007, dated Ist June, 2010 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the Ist June , 2010

No. LLR-A(3)-1/2007.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 28 read with sub-sections (5) and (6) of section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Driver** (Class-III, Non- Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No. LLR-B(14)-4/96 dated 27-9-1997 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh (Ordinary) dated 11.4.1998, namely : -

Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Driver** (Class-III, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A to the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Driver** (Class- III, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997, (a) for the provisions against column No.4, the following shall be substituted, namely :—

"(i) Pay scale for regular incumbents Rs. **3330-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-6200.**

(ii) Emoluments for contract employees Rs. **3330+1665/-= 4995** p.m. as per details given in column No.15-A.";

(b) for the provisions against column No.10, the following shall be substituted, namely:—

"100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which by secondment/transfer. The contract employees will get

emoluments as given in Col.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column. " ; and

(c) for the provisions against Column No.15-A, the following shall be substituted, namely:-

"(Selection for appointment to the post by contract appointment):-

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the **Driver** in Department of Himachal Pradesh State Legal Services Authority will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP PSC/ HP SSSB.—Not applicable**.**

(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HP PSC/HPSSSB.—Under section 6(5) of Legal Services Authorities Act, 1987, the Member Secretary after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Driver** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. **3330+ 1665 =4995/-** P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). An amount of Rs. **110/-**(equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of *viva-voce* test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh State Legal Services Authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @Rs. **3330+1665 = 4995/-** P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @

Rs**.110/-(**equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/ She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like F.R.,S.R. Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

_____

ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Driver and the Government of Himachal Pradesh through Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla

This agreement is made on this _____day of _____in the year_____Between Sh./Smt. _____S/o/D/o Shri_____ R/o _____Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla, Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Driver** on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Driver** for a period of 1 year commencing on day of _____and ending on

the day of _____ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. **3330+1665=4995/-** per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Driver** will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual **Driver**. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Driver** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of an official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render them temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address).",

By order,
A. C. DOGRA,
L.R.-cum-Secretary (Law).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 1 जून, 2010

संख्या एल.एल.आर.–ए(3)–1 / 2007.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्याक 39) की धारा 6 की उपधारा (5) और (6) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल.एल.आर.–बी(14)–4 / 96 तारीख 27–9–1997 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (साधारण) में तारीख 14–3–1998 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, **चपरासी** (वर्ग–IV, अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चपरासी (वर्ग–IV, अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **उपाबन्ध–क का संशोधन.**–हिमावल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चपरासी (वर्ग–IV, अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध 'क' में .–

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

"(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान 2520-100-3220-110-3660-120-4140-(2620/- रूपए के प्रारंभिक आरम्भ सहित;

(ii) स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां 2620+1310=3930 रूपए प्रतिमास।"

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

"यथास्थिति शत प्रतिशत नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ऐसा न होने पर सेकेंडमैंट / स्थानातरण द्वारा ! संविदा कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे; और

(ग) स्तम्भ संख्या 15–क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"(पद पर नियुक्ति के लिए संविदा नियुक्ति द्वारा चयन) :–

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः–

(1) संकल्पना.–(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में चपरासी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.**–लागू नहीं ।

(ग) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.–विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 (5) के अधीन सदस्य सचिव, पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतू सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताओं और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(घ) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.–संविदा के आधार पर नियुक्त विधि अधिकारी को 2620+ 1310=3930 रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक+महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 100 रूपये की रकम(पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.–सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकिया.–संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.–जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.–अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध ''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

निबन्धन और शर्तें.–(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 2620 + 1310=3930 रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक+ महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 100/–रूपए (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधांए जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0–एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

————————

उपाबन्ध ''ख''

चपरासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति .....पुत्र/पुत्री श्री .....निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चपरासी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि प्रथम पक्षकार चपरासी के रूप में .....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात .....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 2620+1310=3930 रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त चपरासी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त **चपरासी** को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ती और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त चपरासी कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार में साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ————————————————

————————————————

————————————————

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ————————————————

————————————————

————————————————

(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ————————————————

————————————————

————————————————

(नाम व पूरा पता)

2. ————————————————————————————
————————————————————————————
————————————————————————————
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)"

आदेश द्वारा,
अवतार चंद डोगरा,
विधि परामर्शी–एवं सचिव (विधि)।

————————

[*Authoritative English Text of the Department Notification No. LLR-A(3)-1/2007, dated Ist June, 2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]*.

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the Ist June, 2010

No. LLR-A(3)-1/2007.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 28 read with sub-sections (5) and (6) of section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No.39 of 1987), the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Peon** (Class-IV, Non- Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No. LLR-B(14)-4/96 dated 27-9-1997 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Ordinary) dated 14-3-1998, namely : -

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Peon** (Class-IV, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A to the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Peon** (Class-IV, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997,

(a) for the provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely : -

"(i) Pay scale for regular incumbents Rs. **2520-100-3220-110-3660-120-4140 (with initial start of Rs. 2620/-).**

(ii) Emoluments for contract employees Rs.**2620+1310/-= 3930** p.m. as per details given in column No.15-A.";

(b) for the provisions against Column No.10, the following shall be substituted, namely :- "100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which by secondment/transfer. The contract employees will get emoluments as given in Col.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said Column. "; and

(c) for the provisions against Column No.15-A, the following shall be substituted, namely:-

"(Selection for appointment to the post by contract appointment):-

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the **Peon** in Department of Himachal Pradesh State Legal Services Authority will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP PSC/ HP SSSB .—Not applicable**.**

(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HP PSC/HPSSSB**.—**Under section 6(5) of Legal Services Authorities Act, 1987, the Member Secretary after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Peon** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @Rs.**2620+1310=3930/-**P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). An amount of Rs.**100/-**(equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of *viva-voce* test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh State Legal Services Authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @Rs**.2620+1310= 3930/-** P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount

@Rs.**100/-(**equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like F.R.,S.R. Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as areapplicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

_____

ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Peon and the Government of Himachal Pradesh through Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla

This agreement is made on this _____day of _____in the year_____Between Sh./Smt. _____S/o/D/o Shri_____ R/o _____Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla, Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Peon** on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Peon** for a period of 1 year commencing on day of _____and ending on the day of _____ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of

the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day *i.e.* on _____and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. **2620+1310=3930/-** per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Peon** will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual **Peon**. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Peon** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of an official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render them temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address).".

By order,
A.C.DOGRA,
L.R.-cum-Secretary (Law).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 1 जून, 2010

संख्या एल.एल.आर.–ए(3)–1 / 2007.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्याक 39) की धारा 6 की उपधारा (5) और (6) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल.एल.आर.–ए (3)–2 / 2002 तारीख 25–11–2004 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (साधारण) में तारीख 18–12–2004 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, **चौकीदार** (वर्ग–IV, अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चपरासी (वर्ग–IV, अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **उपाबन्ध–क का संशोधन.**–हिमावल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चपरासी (वर्ग–IV, अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2004 के उपाबन्ध 'क' में .–

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

"(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान 2520-100-3220-110-3660-120-4140-2620/- रूपए के प्रारंभिक आरम्भ सहित;

(ii) स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां 2620+1310=3930 रूपए प्रतिमास।"

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

"यथास्थिति शत प्रतिशत नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ऐसा न होने पर सेकेंडमैंट / स्थानातरण द्वारा ! संविदा कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे; और

(ग) स्तम्भ संख्या 15–क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"(पद पर नियुक्ति के लिए संविदा नियुक्ति द्वारा चयन) :–

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः–

(1) संकल्पना.–(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में **चौकीदार** को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.**–लागू नहीं ।

(ग) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.–विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 (5) के अधीन सदस्य सचिव, पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतू सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताओं और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(घ) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.–संविदा के आधार पर नियुक्त विधि अधिकारी को 2620+ 1310=3930 रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक+महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 100 रूपये की रकम(पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.–सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकिया.–संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.–जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.–अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध ''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

निबन्धन और शर्तें.–(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 2620 + 1310=3930 रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक+ महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 100/–रूपए (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधांए जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति

को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0–एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

————————

उपाबन्ध ''ख''

चौकीदार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति .....पुत्र/पुत्री श्री .....निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने **चौकीदार** के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि प्रथम पक्षकार चौकीदार के रूप में .....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 2620+1310=3930 रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त चपरासी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त **चौकीदार** को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ती और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त **चौकीदार** कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार में साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ————————————————————

————————————————————

————————————————————

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ————————————————————

————————————————————

————————————————————

(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ————————————————————

————————————————————

————————————————————

(नाम व पूरा पता)

2. ————————————————————————————

————————————————————————————

————————————————————————————

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)"

आदेश द्वारा,
अवतार चंद डोगरा,
विधि परामर्शी–एवं सचिव (विधि)।

————————

[*Authoritative English Text of the Department Notification No. LLR-A(3)-1/2007, dated Ist June, 2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]*.

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the Ist June, 2010

No. LLR-A(3)-1/2007.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 28 read with sub-sections (5) and (6) of section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Chowkidar** (Class-IV, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2004 notified vide this Department Notification No. LLR-A(3)-2/2002 dated 25-11-2004 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Ordinary) dated 18-12-2004, namely : -

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Chowkidar** (Class-IV, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A to the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Chowkidar** (Class-IV, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997,

(a) for the provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:—

"(i) Pay scale for regular incumbents Rs. **2520-100-3220-110-3660-120-4140 (with initial start of Rs. 2620/-).**

(ii) Emoluments for contract employees Rs.**2620+1310/-= 3930** p.m. as per details given in column No.15-A.";

(b) for the provisions against Column No.10, the following shall be substituted, namely :- "100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which by secondment/transfer. The contract employees will get emoluments as given in Col.15-A and will be governed by service conditions as specified in the said Column. "; and

(c) for the provisions against Column No.15-A, the following shall be substituted, namely:-

"(Selection for appointment to the post by contract appointment):-

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the **Chowkidar** in Department of Himachal Pradesh State Legal Services Authority will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP PSC/ HP SSSB .—Not applicable**.**

(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HP PSC/HPSSSB**.—**Under section 6(5) of Legal Services Authorities Act, 1987, the Member Secretary after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Chowkidar** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @Rs.**2620+1310=3930/-**P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). An amount of Rs.**100/-**(equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of *viva-voce* test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh State Legal Services Authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs**.2620+1310= 3930/-** P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs**.**

100/-(equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like F.R.,S.R. Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as areapplicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

_____

ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Chowkidar and the Government of Himachal Pradesh through Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla

This agreement is made on this _____day of _____in the year_____Between Sh./Smt. _____S/o/D/o Shri_____ R/o _____Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla, Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Chowkidar** on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Chowkidar** for a period of 1 year commencing on day of _____and ending on the day

of _____ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. **2620+1310=3930/-** per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Chowkidar** will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual **Chowkidar**. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Chowkidar** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of an official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render them temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address).".

By order,
A.C.DOGRA,
L.R.-cum-Secretary (Law).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 1 जून, 2010

संख्या एल.एल.आर.–ए(3)–1 / 2007.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्याक 39) की धारा 6 की उपधारा (5) और (6) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड़ (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल.एल.आर.–बी(14)–4 / 96 तारीख 27–9–1997 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (साधारण) में तारीख 21–3–1998 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लिपिक (वर्ग–III, अराजपत्रित), भर्ती आरै प्रोन्नति नियम, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(।) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लिपिक (वर्ग–III, अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **उपाबन्ध–क का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लिपिक (वर्ग– III, अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध 'क' में :––

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान 3120-100-3220 -110-3600-120-4260-140—4400-150-5000-160-5160 (3220/-रूपए के प्रारभिक आरम्भ सहित)।

(ii) स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां 3220+1610=4830 रूपए प्रतिमास।

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

(i) यथास्थिति सत्तर प्रतिशत नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ऐसा न होने पर किसी सरकारी / अर्धसरकारी / हिमाचल प्रदेश के न्यायालयों से सेकेडमैंट द्वारा संविदा कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तो द्वारा विनियमित होंगे।

(ii) बीस प्रतिशत दस जमा दो अर्हता रखने वाले वर्ग–IV कर्मचारियों में से हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा संविदा कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे ।

(iii) दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर सेकेडमैंट/स्थानातरण द्वारा ! संविदा कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

(ग) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

(i) बीस प्रतिशत दस जमा दो अर्हता रखने वाले और ग्रेड में की गई दैनिक वेतन, संविदा या तदर्थ आधार पर सेवा सहित न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले वर्ग–IV कर्मचारियों में से हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा । पात्र वर्ग–IV कर्मचारी हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला द्वारा संचालित की जाने वाली टंकण परीक्षा में भी, जैसी सीधी भर्ती की दशा में लागू है, अग्रेंजी में तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से अर्हता प्राप्त करेंगे।

(ii) दस प्रतिशत वर्ग– IV कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने दस जमा दो परीक्षा या इसके समुतय किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो और पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई, यदि कोई हो, लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके पांच वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो ;

परन्तु यदि वर्ग–IV का कोई कर्मचारी मैट्रिक या मैट्रिक के अग्रेंजी के एक विषय सहित हिन्दी रत्न की अर्हता के साथ लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र हो जाता है तो उसे प्रोन्नत कर दिया जाएगा, परन्तु उसे तीन वर्ष के भीतर दस जमा दो स्तर की अर्हता प्राप्त करनी होगी । यदि वह 31–12–2011 तक दस जमा दो की अर्हता प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उसे लिपिक से वर्ग– IV के पद पर (पदावनत) कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि समस्त वर्ग– IV कर्मचारियों में से इस प्रकार प्रोन्नति लिपिकों को परिवीक्षा अवधि के भीतर अग्रेंजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की टंकण परीक्षा पास करनी होंगी जिसका संचालन संबद्ध विभाग द्वारा किया जाएगा और पदधारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान तीन अवसर दिए जाऐंगे । यदि अभ्यर्थी विहित अवधि के भीतर परीक्षा पास करने में असफल रहते हैं तो उनकी परिवीक्षा अवधि का विस्तार किया जाएगा । इस अवधि के दौरान पदधारियों को एक और अवसर दिया जाएगा । यदि फिर भी बढाई गई अवधि में अभ्यर्थी टंकण परीक्षा पास करने में असफल रहते हैं तो वे लिपिक से वर्ग– IV के पद पर प्रतिवर्तित कर दिए जाऐंगे । प्रोन्नति के प्रायोजन के लिए वर्ग–IV कर्मचारियों की उनके अपने काडर में सेवाकाल के आधार पर उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी ।

प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन गणना में ली जाएगी कि संभरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन को उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी।

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति संभरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबंधों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाऐंगे और विचार करते समय सभी कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाऐंगें :

परन्तु उन सभी पदधारियों जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परंतुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सबंधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाऐंगे ।

स्पष्टीकरण :––अंतिम परंतुक के अर्न्तगत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोविलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैकनिकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबंधों के अधीन भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो या जिसे एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनिकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबंधो के अधीन भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति से पूर्व की संभरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधो के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा का गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ; और

(घ) स्तम्भ संख्या 15–क के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

"(पद पर नियुक्ति के लिए संविदा नियुक्ति द्वारा चयन) :–

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी ––

(I) संकल्पना.––(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मे लिपिक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.––लागू नहीं ।

(ग) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.––विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 (5) के अधीन सदस्य सचिव, पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतू सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताओं और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(घ) चयन.––इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा के आधार पर नियुक्त विधि अधिकारी को 3220+ 1610=4830 रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक+महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 110 रूपये की रकम (पद के वेतनमान के न्यनूतम / प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.––सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.––संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगाए जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.––जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध ''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

निबन्धन और शर्तें.––(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तिय को 3220+1610=4830 रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक + महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 110/–रूपए (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएंजैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते /दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0 आर0–एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

उपाबन्ध ''ख''

लिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमति ....पुत्र / पुत्री श्री.........................निवासी.......................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..................................को किया गया।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने लिपिक के रूप मे संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन आरै शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार लिपिक के रूप में.....................से प्रारम्भ होने और..................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ सिंवदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात.....................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सचूना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 3220+1610=4830 रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर हाूगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्व नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त लिपिक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त लिपिक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ती और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त लिपिक कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं हेग।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति काए यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना आपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यां) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ / जी0पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार में साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1 ————————————————————
————————————————————
———————————————————— (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

(नाम व पूरा पता)

2. ————————————————————
————————————————————
————————————————————

(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ————————————————————
————————————————————
————————————————————

(नाम व पूरा पता)

2. ———————————————————— (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
————————————————————
————————————————————

(नाम व पूरा पता)

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
विधि परामर्शी–एवं–सचिव।

————————

[Authoritative English Text of the Department Notification No. LLR-A(3)-1/2007, dated Ist June,2010 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the Ist June, 2010

No. LLR-A(3)-1/2007.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 28 read with sub-sections (5) and (6) of section 6 of the Legal Services Authorities

Act, 1987 (Act No.39 of 1987), the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Clerk** (Class-III, Non- Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified *vide* this Department Notification No. LLR-B(14)-4/96 dated 27-9-1997 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh (Ordinary) dated 21-3-1998, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, **Clerk** (Class-III, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure –A.—In to the Himachal Pradesh **Annexure-A**. State Legal Services Authority, **Clerk** (Class-III, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997,

(a) for the provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely : -

"(i) Pay scale for regular incumbents Rs. **3120-100-3220-110-3600-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160/-(with initial start of Rs. 3220/-).**

(ii) Emoluments for contract employees Rs.**3220+1610/-= 4830** p.m. as per details given in column No.15-A.";

(b) for the provisions against Column No. 10, the following shall be Substituted :-

(i) "70% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which by secondment from any Government/Semi Government/Courts of Himachal Pradesh.The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

(ii) 20% by promotion from amongst the Class-IV officials possessing the 10+2 qualification through competitive examination to be conducted by the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla, failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

(iii) 10% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basisas the case may be failing which by secondment/transfer The contract employees will get emoluments as given in col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.";

(c) for the provisions against column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

(i) "20% by promotion from amongst the Class-IV officials possessing 10+2 qualification through competitive examination to be conducted by the H.P. State

Legal Services Authority, Shimla, and possessing minimum 05 years regular service including service rendered as daily wages, contract or adhoc basis, if any, in the grade. The eligible Class-IV employees will also qualify the typing test with the minimum speed of 30 words per minute in English typewriting OR 25 words per minute in Hindi typewriting to be conducted by the H.P. State Legal Services Authority, Shimla, as is applicable in case of direct recruitment.

(ii) 10% by promotion from amongst the Class-IV officials who have passed 10+2 examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/University and possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade:

Provided that if a Class-IV official is otherwise eligible to be promoted to the post of Clerk with the qualification Matric or Hindi Rattan with Matric (English) then he will be so promoted but shall have to acquire the qualification of 10+2 standard within 03 years. If the candidate fails to acquire the 10+2 qualification by 31.12.2011, then he shall be reverted from Clerk to the Class-IV post:

Provided further that all the Class-IV officials so promoted as Clerks will qualify the typing test with a minimum speed of 30 words per minute in English Typewriting or 25 words per minute in Hindi Typewriting within the probation period which will be conducted by the concerned Departments and the incumbents will get three chances during the probation period. If the candidate fail to qualify the typing test within the prescribed period, their probation period will be extended. During this period the incumbents will get one more chance. If the candidate still fail to qualify the typing test in the extended period, they will be reverted from Clerk to Class-IV post. For the purpose of promotion a combined seniority of eligible Class-IV officials on the basis of length of service without disturbing their cadre wise inter-se-seniority shall be prescribed.

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basisfollowed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior persons in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services in Himachal State Non-Technical Services Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies

in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given to benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged." ; and

(d) for the provisions against Column No.15-A,the following shall be substituted, namely:-

"(Selection for appointment to the post by contract appointment):-

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the **Clerk** in Department of Himachal Pradesh State Legal Services Authority H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP PSC/ HP SSSB.—Not applicable**.**

(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HP PSC/HPSSSB.—Under section 6(5) of Legal Services Authorities Act,1987, the Member Secretary after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Clerk** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @Rs.**3220+1610=4830/-**P.M.(which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). An amount of Rs.**110/-**(equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh State Legal Services Authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority, Shimla from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs**. 3220+1610= 4830/-** P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness Pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs**. 110/-(**equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the dutywithout the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like F.R.,S.R. Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Clerk and the Government of Himachal Pradesh through Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority, Shimla

This agreement is made on this _____day of _____in the year_____Between Sh./Smt. _____S/o/D/o Shri_____ R/o _____Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority, Shimla, Himachal Pradesh (here-inafter referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Clerk** on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Clerk** for a period of 1 year commencing on day of _____and ending on the day of _____ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. **3220+1610=4830/-** per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Clerk** will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual **Clerk**. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Clerk** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of an official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render themporarily unfit till the confinement is over. The women candidates should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address).".

By order,
A.C. DOGRA,
L.R.-cum-Secretary(Law).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित